



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082021-228949
CG-DL-E-12082021-228949

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3021]
No. 3021]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 12, 2021/श्रावण 21, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 12, 2021/SHRAVANA 21, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2021

का.आ. 3261(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि बिहार राज्य के दरभंगा जिले में NH527A के कि.मी. 39.8 से कि.मी. 40.5 (समाहरणालय, दरभंगा) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सक्षम प्राधिकारी-सह-जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच

करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

बिहार राज्य के दरभंगा जिले में NH527A के कि.मी. 39.8 से कि.मी. 40.5 (समाहरणालय, दरभंगा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: बिहार		जिले का नाम: दरभंगा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: तारडीह					
गांव का नाम: एवं					
1	648	निजी	कृषि	0.0040000(हेक्टेयर)	0.0040000
2	650	निजी	कृषि	0.0283000(हेक्टेयर)	0.0283000
3	651	निजी	कृषि	0.0242000(हेक्टेयर)	0.0242000
4	652	निजी	कृषि	0.0202000(हेक्टेयर)	0.0202000
5	653	निजी	कृषि	0.0364000(हेक्टेयर)	0.0364000
6	654	निजी	कृषि	0.0161000(हेक्टेयर)	0.0161000
7	655	निजी	कृषि	0.0020000(हेक्टेयर)	0.0020000
8	657	सरकारी	कृषि	0.1012000(हेक्टेयर)	0.1012000
9	658	निजी	कृषि	0.1457000(हेक्टेयर)	0.1457000
10	658/1057	निजी	कृषि	0.0161000(हेक्टेयर)	0.0161000
11	659	निजी	कृषि	0.2429000(हेक्टेयर)	0.2429000
12	660	निजी	कृषि	0.2186000(हेक्टेयर)	0.2186000
13	661	निजी	कृषि	0.0081000(हेक्टेयर)	0.0081000
14	664	निजी	कृषि	0.0121000(हेक्टेयर)	0.0121000
15	665	निजी	कृषि	0.0404000(हेक्टेयर)	0.0404000
16	666	निजी	कृषि	0.0728000(हेक्टेयर)	0.0728000

17	667	निजी	कृषि	0.0323000(हेक्टेयर)	0.0323000
18	668	निजी	कृषि	0.0120000(हेक्टेयर)	0.0120000
19	691	सरकारी	सड़क	0.0404000(हेक्टेयर)	0.0404000
कुल				1.0738	1.0738

[फा. सं. 142/13/2015-TPL/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2021

S.O. 3261(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH527A in the stretch of land from Km. 39.8 to Km. 40.5 (Collectorate, Dharbhanga) in the district of DARBHANGA in the state of BIHAR, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Competent Authority - Cum - District Land Acquisition Officer in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH527A in the stretch of land from Km. 39.8 to Km. 40.5 (Collectorate, Dharbhanga) in the district of DARBHANGA in the State of BIHAR.

State: BIHAR		District: DARBHANGA			
S.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Tardih					
Village: Awam					
1	648	Private	Agriculture	0.0040000(Hectare)	0.0040000
2	650	Private	Agriculture	0.0283000(Hectare)	0.0283000
3	651	Private	Agriculture	0.0242000(Hectare)	0.0242000
4	652	Private	Agriculture	0.0202000(Hectare)	0.0202000
5	653	Private	Agriculture	0.0364000(Hectare)	0.0364000
6	654	Private	Agriculture	0.0161000(Hectare)	0.0161000
7	655	Private	Agriculture	0.0020000(Hectare)	0.0020000

8	657	Government	Agriculture	0.1012000(Hectare)	0.1012000
9	658	Private	Agriculture	0.1457000(Hectare)	0.1457000
10	658/1057	Private	Agriculture	0.0161000(Hectare)	0.0161000
11	659	Private	Agriculture	0.2429000(Hectare)	0.2429000
12	660	Private	Agriculture	0.2186000(Hectare)	0.2186000
13	661	Private	Agriculture	0.0081000(Hectare)	0.0081000
14	664	Private	Agriculture	0.0121000(Hectare)	0.0121000
15	665	Private	Agriculture	0.0404000(Hectare)	0.0404000
16	666	Private	Agriculture	0.0728000(Hectare)	0.0728000
17	667	Private	Agriculture	0.0323000(Hectare)	0.0323000
18	668	Private	Agriculture	0.0120000(Hectare)	0.0120000
19	691	Government	Road	0.0404000(Hectare)	0.0404000
Total				1.0738	1.0738

[F. No. 142/13/2015-TPL/3A]

RAJESH GUPTA, Director